न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 22/2021 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2021/22)

1. हाजर खां
2. नाजर खां
3. समैदीन पुत्र रहमत

पुत्रगण हसन खां, जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. कलवन्त पुत्र बलकार जाति सिक्ख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार पहाडी।
3. मानसिंह पुत्र बलकार
4. बलजीत सिंह पुत्र कृपालसिंह

जाति सिक्ख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी पहाडी मु0नं0 57/2020 कलवन्त बनाम हाजर खां दिनांक 01.02.2021 (अन्तर्गत धारा 111, 128, व 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्ट संख्या–1
3. श्री हनुमान प्रसाद वकील रैस्पोडेन्ट संख्या–3 व 4
4. राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेन्ट संख्या–2

निर्णय

दिनांकः– 14.02.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी पहाडी के निर्णय दिनांक 1.2.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्टस द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128,136 एल आर एक्ट के तहत इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया था कि आराजी साविक नम्बर 1518/0.25, 1519/0.02 नये खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02 है0 वाकै ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02 का पुराना खसरा नम्बर 1518/0.25, 1519/0.02 थे, जिनके उत्तर दिशा में लगता हुआ एक आम रास्ता था। जिस पर बाद में पक्की सड़क डाल दी गई। जो सीकरी से डीग वाया कैथवाडा होकर निकली है।

14.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बन्दोवस्त विभाग द्वारा नवीन नक्शे में उक्त डामर सडक को हमारे खसरा नम्बर 1980, 1981 के उत्तर दिशा में लगता हुआ न दर्शा कर खसरा नम्बर 2400, 2401 के दक्षिण दिशा में दर्शा दिया गया है। इस कारण मौके की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है और उनका खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02 के आगे उत्तर दिशा में कच्चा रास्ता व उसके आगे 2403 खसरा नम्बर को दर्शा दिया गया है जो कि मौके के बिल्कुल खिलाफ है। बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना रिकार्ड व मौके का निरीक्षण किये नवीन नक्शे को जारी कर दिया है। अपीलान्ट संख्या 1 व 2 हाजर खां व नाजर खां ने अपनी सम्पूर्ण आराजी ख0नं0 2403/0.08 जो कि प्रार्थना पत्र में विवादित थी, का दौराने वाद बेचान कर दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र के तथ्यों में भिन्नता आ जाने से जो रिलीफ अपीलान्ट संख्या 1 व 2 हाजर खां, नाजर खां के विरूद्ध चाही गई थी, उसकी जगह पर आराजी के खातेदार समैदीन (अपीलान्ट नं0 3) पुत्र रहंमत दर्ज रिकार्ड हो जाने के कारण समैदीन को पक्षकार बनाते हुये प्रार्थी कलवन्त ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त तथ्य की जानकारी नवीन खसरा नम्बरों के नक्शा ट्रेस दिनांक 26.10.2020 को लेने पर आने का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। रेस्पो0 नं0 1 व रैस्पो0 3 व 4 के अधिकार समान होने व वक्त दायरी मुकदमा रैस्पो0 नं0 3 व 4 उपस्थित नहीं होने से उन्हें तहत अदालत में तरतीवी रैस्पो0 संख्या 4 व 5 बनाया गया था। प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया था कि बन्दोवस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में हाल मौका व कब्जा अनुसार खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02 के लगता हुआ उत्तर दिशा में डामर सडक को दर्शाया जावे अर्थात डामर सडक से लगते हुए उनके खसरा नमबर 1980/0.25, 1987/0.02 को सडक के दक्षिण दिशा में दर्शा कर संशोधित किया जावे एवं खसरा नम्बर 2403/0.08 जो कि सडक से लगता है को उत्तर दिशा में दर्शाया जावे। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी पहाडी द्वारा रैस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2021 पारित करते हुये रैस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश दिया है। जिसमें रैस्पो0 के आराजी खसरा नम्बर 1980 एवं 1981 सडक के दक्षिण ओर एवं अप्रार्थीगण अपीलान्ट्स का आराजी खसरा नम्बर 2403 सडक के उत्तरी ओर किये जाने का आदेश दिया है। सडक मौके के अनुसार रैस्पो0 एवं अपीलान्ट की आराजी के मध्य में आबादी के खसरा नम्बर 3485 में से गुजरी है। चूंकि डामर सडक आबादी के खसरा नम्बर 3485 में से गुजरी है इसलिऐ रिकार्ड एवं नक्शा में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पों संख्या–1 की ओर से श्री पंकज कुमार एडवोकेट, रैस्पों0 संख्या–2 की ओर से सरकारी पैरोकार व रैस्पों0

14.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संख्या–3 व 4 की ओर से श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक उपस्थित हुए। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि अदालत मातहत का आदेश दिनांक 01.02.2021 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि मौके पर आराजी खसरा नम्बरान 2400/0.08, 2401/0.08, 2402/0.08 व 2403/0.08 डामर रोड के उत्तर दिशा में स्थित है, कतई गलत है। डामर रोड खसरा नम्बर 2402/0.06 में बनी है तथा खसरा नम्बर 2403/0.08 उक्त रोड के दक्षिण दिशा में चिपटेया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर भरोसा कर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। अभिलेख के अनुसार जैसा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि बन्दोवस्त विभाग द्वारा रिकार्ड में गैरमुमकिन सडक को खसरा नम्बर 2402/0.06 रकबे के रूप में दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 2400/0.08, 2401/0.08 को सडक के उत्तरी व खसरा नम्बर 2403/0.08 को दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है मौके की स्थिति भी इसी प्रकार से है लेकिन तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में गलत रूप से खसरा नम्बर 2403 को उत्तरी दिशा में बताया है, इस रिपोर्ट पर भरोसा कर खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटी की है। खसरा नम्बर 2402 में सडक स्थित है उसके दक्षिण में लगा हुआ खसरा नम्बर 2403 है, 2403 के दक्षिण में तथाकथित आवादी का रास्ता है जिसे उत्तरवादीगण (प्रार्थी) ने खसरा नम्बर 1980 व 1981 में मिला रखा है। इस प्रकार तथाकथित रास्ता 3485 का मौके पर उत्तरवादीगण ने अस्तित्व समाप्त कर रखा है। इसलिऐ वहां पर सडक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 3485 में सडक मानकर खसरा नम्बर 1980 व 1981 को उसके दक्षिण दिशा में लगा 2403 को उत्तर दिशा में मानकर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। खसरा नम्बर 2403/0.08 का 7/8 हिस्सा दिनांक 6.11.2020 को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 से अपीलार्थी संख्या 3 ने कय किया है उसे सडक के दक्षिण दिशा में ही मौके पर खरीदे भू–भाग का कब्जा दिया गया है। अपीलार्थी संख्या 3 से पूर्व 1/7 हिस्सा यानि 1 ऐयर जमीन को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 28.05.2012 को उत्तरवादी मानसिंह व कलवन्त को बेचा था। उस समय भी कब्जा सडक के दक्षिणी दिशा में दिया गया था। उक्त भूमि का बंटवारा भी अभी तक नहीं हुआ है तथा वक्त पंजीयन संभलाये गये कब्जे के आधार पर ही संभी काबिज हैं। परन्तु अदालत मातहत ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कि मौके की स्थिति के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पों0 संख्या–1 ने उनकी ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की

14.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जो नक्शा जमाबंदी खसरा आदि राजस्व रिकार्ड अदालत मातहत में प्रस्तुत हुआ है उससे यह स्पष्ट होता है कि सीकरी से बाया कैथवाडा होकर डीग जाने वाली सड़क खसरा नंबर 2402 में बनायी गयी है। जिस खसरा नंबर से रैस्पों0 द्वारा सड़क गुजरना बताया गया है, वह कच्ची पगडंडी थी। जिसमें रैस्पोडेन्ट्स की आबादी बसी हुई है। खसरा नंबर 2403 नक्शे के अनुसार सड़क के दक्षिण दिशा में चिपटेबा है। उत्तरवादी ने अपने रकबे को सड़क के पास लाने के उद्देश्य से बीच के खसरा नम्बर 3485 में रोड बताते हुये गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे नाजायज रूप से स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटी की है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की पैमाईश रिपोर्ट पर भरोसा करने में भारी भूल की है। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट अभिलेख के विपरीत तैयार की गई है। जबकि भू–बंदोबस्त विभाग द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार ही नक्शा तैयार करते हुए सड़क का अंकन किया है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में आपत्ति प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया था कि चूंकि नक्शा व रिकार्ड भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया है। अतः भू–प्रबन्ध विभाग से पैमाइश करायी जावे। परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को नजरअंदाज कर रैस्पों0 की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि रिकार्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 2402 में दर्ज है व खसरा नंबर 2403 उक्त खसरा नंबर के दक्षिण में है। इसके बाद भी आबादी के खसरा नंबर 3485 को सड़क का भाग गलत रूप से माना है। तहसीलदार द्वारा पुनः जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह रिपोर्ट न तो अपीलान्ट की उपस्थिति में ही तैयार की गई और न ही इस रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं। वरन् रैस्पोडेन्ट से सांठ–गांठ कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा बिना परीक्षण के अदालत मातहत को अग्रसित किया है जो कि गलत है। जब नक्शा व अभिलेख में कोई संशोधन/परिवर्तन आदि ही नहीं किया गया तो अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र किस आशय का स्वीकार किया गया यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए अपीलाधीन आदेश अस्पष्ट, मौका व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2021 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहत अदालत उप जिला कलक्टर पहाडी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2021 विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 व 136 एल आर एक्ट पर तहत अदालत ने विधिवत प्रकिया अपनाकर ही रिकार्ड एवं मौके

14.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के अनुकूल ही निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आराजी खसरा नम्बर 1980 एवं 1981 का डामर सडक से दक्षिण दिशा में लगता हुआ होने हेतु संशोधन चाहा गया था। तदोपरान्त तहत अदालत ने नियमानुसार इस संबध में तहसीलदार पहाडी से मौका एवं रिकार्ड की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई जिसकी पालना में दिनांक 22.11.2020 को तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि प्रार्थी/रैस्पो0 के आराजी खसरा नम्बर 1980 व 1981 को सडक के दक्षिण दिशा में एवं अप्रार्थी/अपीलान्ट के आराजी खसरा नम्बर 2403 को सडक के उत्तर दिशा में होना बताया है। अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.11.2020 की रिपोर्ट पर आपत्ति किये जाने पर तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। जिसमें तहसीलदार पहाडी की ओर से दिनांक 19.01.2021 को अदालत मातहत में रिपोर्ट भिजावायी गयी। इस रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा टीम द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें टीक के सदस्यों के साथ–साथ अन्य के भी हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में मूल विवाद का बिन्दु मौके पर सडक की अवस्थिति का है। रिकार्ड अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2402 में सडक को दर्शाया गया है। उसके दक्षिण में आराजी खसरा नम्बर 2403 को दर्शाया गया है। उसके पश्चात आबादी का खसरा नम्बर 3485 के सडक के भाग को दर्शाया गया है एवं उसके दक्षिण में प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट के आराजी खसरा नम्बर 1980 एवं 1981 को दर्शाया गया है। जिनकी आकृति बन्दोवस्त विभाग के पूर्व के नक्शे अनुसार ही वर्तमान नक्शें में है। परन्तु तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार सडक मौके पर खसरा नम्बर 2402 में से न होकर अपितु आबादी का खसरा नम्बर 3485 में से गुजरी है। इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चे से बखूबी हो चुकी है। चूंकि सडक के दक्षिण ओर प्रार्थी/रैस्पो0 के आराजी खसरा नम्बर 1980 एवं 1981 की पैमाईश अनुसार प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट का रिकार्ड अनुसार ही 0.27 हैक्टेयर पर कब्जा है जबकि सडक के उत्तरी दिशा में अप्रार्थी/अपीलान्ट का लगभग 0.30 हैक्टेयर पर कब्जा है। जबकि रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 2400 एवं 2401 कुल 0.16 हैक्टेयर भूमि ही है। सडक के उत्तर दिशा में आराजी खसरा नम्बर 2400/0.08, 2401/0.08, 2402/0.06 एवं 2403/0.08 होने पर ही कुल भूमि भी 0.30 हैक्टेयर बैठती है। उक्त पैमाईश से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि मौके पर डामर सडक के उत्तर दिशा में आराजी खसरा नम्बर 2400/0.08, 2401/0.08, 2402/0.06 एवं 2403/0.08 स्थित है एवं दक्षिण दिशा में आराजी खसरा नम्बर 1980 एवं 1981 स्थित है एवं सडक 2402/0.06 में से न गुजर कर आबादी के आराजी खसरा नम्बर 3485 में से होकर गुजरी है। आराजी खसरा नम्बर 2402/0.06 एवं 2403/0.08 को मौके पर अप्रार्थी/अपीलान्ट ने अपनी आराजी में सम्मलित कर रखा है। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा दो–दो बार मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के बाद रिकार्ड एवं मौके की वास्तविक स्थिति से रूबरू होते हुये अपीलाधीन

17.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश पारित किया गया है जो कि न्यायसंगत है। प्रकरण में अपीलान्ट के अनुरोध/ऐतराज पर पुनः तहसीलदार से रिपोर्ट तलब भी की गई है। वर्तमान मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा से यह तथ्य स्पष्ट है कि यह मौका रिपोर्ट विभिन्न राजस्व कर्मीयों की गठित टीम के माध्यम से की गई है एवं उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये गये है। भू-प्रबन्ध विभाग ने नक्शे में कच्ची पगडंडी व सड़क को अलग-अलग दर्शाया है जबकि सीकरी से बाया कैथवाडा होते हुए डीग जाने वाली सड़क तथाकथित पगडंडी पर ही बनायी गयी है। उपर्युक्त सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये तहत अदालत द्वारा रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। प्रार्थी/रैस्पो0 के आराजी खसरा नम्बर 1980 एवं 1981 सड़क के दक्षिण ओर एवं अप्रार्थी/अपीलान्ट के आराजी खसरा नम्बर 2403 सड़क के उत्तरी ओर है। सड़क मौके अनुसार प्रार्थी/रैस्पो एवं अप्रार्थी/अपीलान्ट की आराजी के मध्य में आबादी के खसरा नम्बर 3485 में से गुजरी है इसलिऐ रिकार्ड एवं नक्शा में कोई संशोधन आवश्यक नहीं रहता है। तहत अदालत ने बाद परीक्षण रिकार्ड एवं मौके के वास्तविक तथ्यों के आधार पर दो-दो बार मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश 01.02.2021 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण यथावत रखा जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट संख्या-3 व 4 द्वारा तर्क दिया गया है कि अपीलाधीन निर्णय तथ्यों व रिकार्ड पर आधारित होने के कारण इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि रैस्पों0 संख्या-1 की ओर से अदालत मातहत में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 व 136 के तहत विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें उभयपक्षकारान को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है। रैस्पों0 संख्या-1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के बारे में 2 बार मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी है। तहसीलदार पहाडी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.01.2021 में समस्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है। बंदोबस्त विभाग द्वारा की गई त्रुटि को अपीलाधीन आदेश के द्वारा दुरूस्त किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुये रिकार्ड, मौका रिपोर्ट आदि को सही रूप से विवेचित करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2021 पारित किया है जो कि उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2021 यथावत रखा जावे।

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार ही नक्शा बनाया गया है तथा सड़क जिस खसरा नंबर में बनी हुई है, उसी खसरा नंबर में दर्शायी गयी है। जिसकी पुष्टि साबिक व हाल

14.2.2023
संभाग आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नक्शा ट्रेस से भलीभांति हो रही है। यदि भू–प्रबन्ध विभाग से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवायी जाती तो वस्तुस्थिति सामने आ सकती थी, परन्तु अदालत मातहत ने राजस्व कर्मियों द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस निर्णय में अदालत मातहत द्वारा यह उल्लेख किया है कि डामर सड़क खसरा नंबर 3485 में से गुजरी है इसलिए नक्शा व रिकार्ड में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किए गए नक्शा ट्रेस में उक्त सड़क खसरा नंबर 2402 में से गुजरना बताया है। उक्त तथ्य के बारे में अदालत मातहत द्वारा कोई परीक्षण नहीं किया गया वरन् रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2021 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट्स के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पों0 संख्या–1 की ओर से अदालत मातहत में राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 व 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि बंदोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में हाल मौका व कब्जा के अनुसार खसरा नंबर 1980/0.25, 1981/0.02 के लगता हुआ उत्तर दिशा में डामर सड़क को दर्शाया जावे तथा डामर सड़क से लगते हुए उसके खसरा नंबर 1980/0.25, 1981/0.02 को सड़क के दक्षिणी दिशा में दर्शा कर संशोधित किया जावे एवं खसरा नंबर 2403/0.08 को सड़क से लगता है, को सडक के उत्तर दिशा में दर्शाया जावे। रैस्पों0 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलान्ट/अप्रार्थी को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट/अप्रार्थी व तहसीलदार पहाडी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट भी तलब की गई। जिसमें तहसीलदार पहाडी की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2020 के संबंध में अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा आपत्ति किये जाने पर अदालत मातहत की ओर से तहसीलदार पहाडी को पुनः उभयपक्षकारान की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा भिजवाये जाने हेतु दिनांक 04.01.2021 को निर्देश दिये गये थे। जिसकी पालना में तहसीलदार पहाडी की ओर से पत्र क्रमांक 119 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा विस्तृत रिपोर्ट मय मौका पर्चा दिनांक 19.01.2021 के द्वारा भिजवायी गई। इस मौका रिपोर्ट में तहसीलदार पहाडी द्वारा साबिक खसरा नंबर 1835/1, 1835/2, 1835, 1836, 1518 व 1519 से बने हाल खसरा नंबर 2400, 2401, 2402, 2403, 1980 व 1981 के रकबे का उल्लेख कर स्पष्ट किया कि खसरा नंबर 1980/0.25, 1981/0.02 पर प्रार्थी कुलवन्त व आराजी खसरा नंबर 2400/0.8, 2401/0.8 पर हाजर खां, नाजर खां पिसरान हसन खां खातेदार है। आराजी खसरा नंबर 2403/0.08 पर मानसिंह, कलवन्त सिंह पिसरान बलकार सिंह हिस्सा 1/8,

14.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

समेदीन पुत्र रहमद हिस्सा 7/8 खातेदार है। आराजी खसरा नंबर 2402/0.06 हाजर, नाजर पिसरान हसन खां जाति मेव की खातेदारी में है। परन्तु गैर मुमकिन सड़क दर्ज रिकार्ड है। बंदोबस्त विभाग द्वारा रिकार्ड में गैर मुमकिन सडक को 2402/0.06 खसरे में दर्शाया गया है। एवं 2400/0.08, 2401/0.08 को सडक के उत्तरी दिशा में, आराजी खसरा नंबर 2403/0.08 को दक्षिणी दिशा में दर्शाया गया है। परन्तु मौके की स्थिति विपरीत है। मौके के अनुसार डामर सडक 1980/0.25 के उत्तर दिशा एवं आराजी खसरा नंबर 2403/0.08 दक्षिणी दिशा के मध्य स्थित आबादी के आराजी खसरा नंबर 3485 के रास्ते में से गुजरी है। जो कि पूर्व में रास्ते के रूप में ही था। प्रार्थी के आराजी खसरा नंबर 1980/0.25, 1981/0.02 की पैमाइश की गई। पैमाईश अनुसार प्रार्थी रिकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज है। परन्तु सड़क के उत्तरी दिशा में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 हाजर, नाजर पिसरान हसन खां का लगभग 30 ऐयर पर कब्जा है। जबकि रिकार्ड अनुसार सड़क के उत्तरी दिशा में अप्रार्थी संख्या हाजर, नाजर की खातेदारी में 2400/0.08, 2401/0.08 कुल 16 ऐयर खातेदारी भूमि है एवं आराजी खसरा नंबर 2402/0.06 जो कि गैर मुमकिन सड़क के रूप में दर्ज है एवं आराजी खसरा नंबर 2403/0.08 को अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी में मिलाया हुआ है। मौका अनुसार स्थिति एवं पैमाइश दोनों से आराजी खसरा नंबर 1980, 1981 सड़क के दक्षिणी दिशा में एवं आराजी खसरा नंबर 2403 सडक के उत्तरी दिशा में प्रतीत होता है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी पहाडी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2021 में रैस्पों0/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, अपीलान्ट/अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब व तहसीलदार पहाडी की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए स्पीकिंग व स्पष्ट निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

जहां तक मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्य कि रैस्पों0 द्वारा अदालत मातहत में कोई रिकार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल मात्र तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया हैं उचित नहीं है। वरन् अदालत मातहत की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पों0 की ओर से जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत किया गया है तथा पैरोकार सरकार की ओर से भी रैस्पों0/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुए दुरूस्ती किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। इसके अलावा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में विधिवत रूप से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रथम मौका रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट/अप्रार्थी की ओर से आपत्ति किये जाने पर दुबारा मौका रिपोर्ट तलब की गई है जो कि राजस्व कार्मिकों की टीम के द्वारा तैयार की गई है। टीम की ओर से गठित मौका पर्चा में वर्णित तथ्यों को विवेचित कर तहसीलदार पहाडी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गई है। हालांकि उक्त रिपोर्ट के संबंध में भी अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा आपत्ति करते हुए

14.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भू–प्रबन्ध विभाग से रिपोर्ट तलब किये जाने की आपत्ति की गई है। इस आपत्ति के संबंध में विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख किया है कि मौका रिपोर्ट विभिन्न राजस्व कर्मियों की गठित टीम के माध्यम से तैयार की गई है एवं उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये गये हैं। अतः पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित नहीं है। इसी प्रकार उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि आराजी खसरा संख्या 1980 एवं 1981 सड़क के दक्षिणी ओर एवं अप्रार्थीगण का आराजी खसरा संख्या 2403 सड़क के उत्तर की ओर है। सड़क मौके अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजी के मध्य में आबादी के ख़सरा संख्या 3485 में से गुजरी है, चूंकि डामर सड़क आबादी के खसरा संख्या 3485 में से गुजरी है। इसलिए रिकार्ड एवं नक्शा में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी ने मौके की स्थिति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वकील अपीलान्ट की ओर से मौखिक बहस में उक्त सड़क खसरा नंबर 2402 में से गुजरना बताया है, परन्तु उक्त तर्क के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2021 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ स्पीकिंग व स्पष्ट होने के कारण उक्त निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 14.2.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर